21-12-23 · सरकार पैरोकार उप०/ सरकार पैरोकार तहसीलदार लैण्ड
रेकॉर्ड करौली द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत पत्रावली तलब तथा
दावा डिक्री प्रस्तुत किया गया। जिसमें प्रार्थी तहसीलदार लैण्ड
रेकॉर्ड करौली द्वारा दस्तखत पेश कर निवेदन किया गया है कि
इस दावे को डिक्री करना चाहते है अतः आदेश प्रदान किये जाये
उक्तानुसार सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 23 नियम 1(1)
के आधार पर वाद को डिक्री करने की अनुमति दी जाती है।
न्यायालय invito benefician non datur के सिद्धान्त से
बाध्य है। अतः वाद डिक्री करने के आदेश दिये जाते है। परन्तु
साथ ही चूँकि वाद राजकीय पैरोकार द्वारा प्रस्तुत किया
गया था व अब बिना किसी स्पष्ट कारण के डिक्री किया
जा रहा है तो न्यायालय यह उचित समझता है कि राजकीय

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	परिवार के उच्चाधिकारियों के संज्ञान में आवश्यक विभागीय कार्यवाही चाहि-चाहिये जावे हेतु लाया जाना उचित रहेगा। अतः उक्तानुसार तहरीर भी जारी की जावे। यह आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी करौली (राज०)